



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122021-231593
CG-DL-E-04122021-231593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]
No. 631]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

विदेश मंत्रालय
(नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 2021

सं. एस/321/8/2018.—नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विजिटर की सहमति से, शासी बोर्ड, एतद्वारा नालंदा विश्वविद्यालय सांविधि, 2012, में निम्नलिखित संशोधन करता है: अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन सांविधियों का नाम नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) सांविधि, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नालंदा विश्वविद्यालय सांविधि, 2012 (जिसे इसके पश्चात प्रमुख सांविधि कहा गया है) में, सांविधि 4 में, (क) खंड (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

"(1) अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा 2 के प्रावधानों के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार अध्ययन स्कूलों और केंद्रों के अलावा, विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त अध्ययन स्कूल अर्थात् 'सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी' होगा। विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की सिफारिश पर और शासी बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर और अधिक स्कूल और अध्ययन केंद्र बढ़ा सकता है।"

(ख) खंड (3) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(4) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (xiv) और (xvi) के अनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत देश के भीतर और बाहर अन्य संस्थानों के गठबंधन से केंद्र स्थापित कर सकता है।

(5) विदेशों में केंद्र, अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित क्षेत्रों में संबंधित दूतावास के सहयोग/समन्वय से स्थापित किए जाएंगे।

3. मूल सांविधियों में, सांविधि 5 में,

(क) खंड (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

"(1) अधिनियम की धारा 22 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों के अलावा, आवश्यकतानुसार, विश्वविद्यालय का प्राधिकारी निम्नलिखित होगा, अर्थात्:

(क) योजना बोर्ड"

(ख) खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(2) योजना बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ और कार्य समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(क) कुलपति - अध्यक्ष

(ख) स्कूलों के दो डीन, जो कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे

(ग) वित्त अधिकारी

(घ) कुलपति की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा दो बाहरी विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे, जो नियोजन, इंजीनियरिंग और वास्तुकला में विशिष्ट ज्ञान रखते हों।

(ङ) कुलपति द्वारा दो भारतीय बाहरी विशेषज्ञ, दो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे जो उच्च शिक्षा के विकास में विशेषज्ञता रखते हों;

(च) डीन योजना सदस्य-सचिव होंगे। डीन योजना की अनुपस्थिति में, रजिस्ट्रार, सदस्य-सचिव होंगे।

(3) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, और जिसे एक बार और बढ़ाया जा सकता है।

(4) योजना बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार होंगे:

(क) विश्वविद्यालय की अल्प और दीर्घकालिक विकास योजनाओं के बारे में सलाह देना

(ख) विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सुधार उपायों का सुझाव देना:

(ग) अंतर-विषयक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, विश्वविद्यालय के स्कूलों या केंद्रों के बीच सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ भागीदारी सहित शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के उन्नयन के उपायों का सुझाव देना।

(घ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित (सौंपे गए) किसी भी अन्य मामले पर सलाह देना।

(5) योजना बोर्ड की सिफारिशों को विचारार्थ और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(6) योजना बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(7) बैठक की गणपूर्ति के लिए बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए।"

4. मूल सांविधियों में, सांविधि 7 में, -

(क) उपांत शीर्षक के लिए, निम्नलिखित उपांत शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"शैक्षणिक परिषद का गठन";

(ख) खंड (1) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) अकादमिक परिषद का गठन अधिनियम की धारा 43 (ग) के अनुसार किया जाएगा। अकादमिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(क) कुलपति, जो अकादमिक परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे;

(ख) रेक्टर, पदेन;

(ग) डीन (अनुसंधान) / सीओई, पदेन;

(घ) स्कूलों के डीन, पदेन;

(ङ) लाइब्रेरियन, पदेन;

(च) कुलपति द्वारा प्रत्येक स्कूल से एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर को क्रमानुसार नामित किया जाएगा;

(छ) कुलपति की सिफारिश पर सात विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों)।

(च) अध्यक्ष की सिफारिश अनुसार विशेष आमंत्रिती

(ग) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(2) पदेन सदस्यों के अलावा अकादमिक परिषद के सभी सदस्य, उनको नामित किए जाने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। सदस्य दो कार्यकाल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

(3) कुलपति, छात्रों के लिखित अनुरोध पर, विशिष्ट मदों के लिए अधिकतम दो छात्रों को अपने विचार अकादमिक परिषद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।

(4) इस परिषद की बैठक की गणपूर्ति के लिए विशेषज्ञों और आंतरिक सदस्यों में से आधे होने आवश्यक हैं, और बैठक में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे।

(5) परीक्षा नियंत्रक सदस्य-सचिव होंगे और उसकी अनुपस्थिति में डीन अनुसंधान सदस्य-सचिव होंगे।"

5. प्रमुख सांविधियों में,

(क) सांविधि 7 को सांविधि 7क के रूप में लिखा जाएगा, और इसे सांविधि 7 के बाद रखा जाएगा।

(ख) मौजूदा संविधि 7 में खंड (1) (ख) (vi), जिसे सांविधि 7क के रूप में लिखा गया है को- "परीक्षाओं का आयोजन" के रूप में संशोधित किया गया है।

(ग) मौजूदा संविधि 7 में खंड (1) (ख) (vi) जिसे 7 क के रूप में लिखा गया है, के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(ix) निर्देशों के मानकों को बनाए रखने और इनमें सुधार करने की दृष्टि से उचित कार्रवाई करने के लिए विभागों/केंद्रों की आवधिक समीक्षा/शैक्षणिक लेखा परीक्षा करना"

6. मूल संविधियों में, सांविधि 8 में,

(क) खंड (1) को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया जाता है: -

"(1) बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज में कुलपति द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।"

(ख) खंड (2) को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया गया है: -

"(2) बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज -

(क) स्कूल में शिक्षा, अध्यापन, अध्ययन और अनुसंधान के आयोजन से संबंधित सभी मामलों पर शैक्षणिक परिषद को रिपोर्ट करना जिसमें कुलपति के सम्यक अनुमोदन से पाठ्यचर्या और परीक्षाओं का आयोजन शामिल है।

(ख) कुलपति/शैक्षणिक परिषद द्वारा उन्हें भेजे जाने वाले किसी भी मामले पर विचार करना और यथावश्यक कार्रवाई करना।

(ग) कुलपति के विधिवत अनुमोदन से स्कूलों के शैक्षणिक परिषद को सभी शैक्षणिक मामलों की सिफारिश करना।

(ग) खंड (3) को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया जाता है -

"(3) प्रत्येक बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज कुलपति के अनुमोदन से ऐसी उप-समितियों का गठन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।"

7. मूल संविधियों में, संविधि 8 के बाद, निम्नलिखित संविधि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

"8क. बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज का गठन। - (1) प्रत्येक स्कूल ऑफ स्टडीज का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (क) स्कूल के डीन, जो बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे;
- (ख) स्कूल के सभी प्रोफेसर
- (ग) स्कूल में वरिष्ठता के क्रमानुसार रोटेशन द्वारा, दो सहायक प्रोफेसर
- (घ) शैक्षणिक परिषद द्वारा स्कूल को सौंपे गए किसी भी विषय में विशेष ज्ञान या किसी भी संबद्ध शाखा में ज्ञान के लिए नामांकित अधिकतम चार सदस्य।
- (ङ) पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से प्रारंभ होगा।
- (च) बैठक की गणपूर्ति के लिए बोर्ड के आधे सदस्य अनिवार्य होंगे और निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे।"

8. मूल संविधियों में, संविधि 14 में

(क) संविधि 14 में मौजूदा प्रावधान को खंड (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है और इसे निम्न के अनुसार संशोधित किया जाता है-

"(1) कुलपति, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्ति शैक्षणिक स्टॉप के सदस्य होंगे, जिन्हें संविधि द्वारा विश्वविद्यालय में छात्रों को निर्देश या मार्गदर्शन देने या किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन करने में सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें सहायक संकाय और शिक्षण अध्येता शामिल हैं। शैक्षणिक कर्मचारियों को मुख्यालय करार के अनुसार कराधान से छूट दी जाएगी।"

(ख) खंड (1) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(2) विजिटिंग संकाय -

- (क) विश्वविद्यालय में शामिल किसी अध्ययन क्षेत्र में विशेष क्षमता वाले प्रख्यात विद्वान, विजिटिंग संकाय के रूप में।
 - (ख) विजिटिंग संकाय या स्थानिक विद्वानों/लेखकों को एक समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और यह राशि उस ग्रेड के आधार पर होगी जिस पर उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा।
 - (ग) विजिटिंग संकाय या स्थानिक विद्वानों/ लेखकों को अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार भारत के भीतर यात्रा के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा और वे सीजीएचएस मानदंडों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।
- (3) सेवानिवृत्त संकाय की नियुक्ति - शासी बोर्ड, कुलपति के विवेक के अनुसार स्वीकृत रिक्त पद पर शैक्षणिक स्टाफ के ऐसे किसी भी सदस्य को अधिवर्षिता की आयु के बाद, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए, जिसे 70 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है। ऐसे पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति होने तक तदर्थ आधार पर डीन का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।"

9. मूल संविधियों में संविधि 14 में, तालिका में, 'संरचना' से संबंधित कॉलम में, शब्द और कोष्ठक में, जहां भी "डीन (अकादमिक योजना)" है उसे और कोष्ठक "रेक्टर / डीन (अनुसंधान)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. मूल संविधियों में संविधि 14बी में, खंड (2) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(3) चयन समिति प्रक्रियाएं -

- क. कुलपति चयन समितियों की बैठकों के अध्यक्ष के रूप में उक्त बैठकों का आयोजन करेंगे तथा इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

- ख. सामान्यतः किसी बैठक के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।
- ग. अध्यक्ष सहित चार सदस्य और कुलाधिपति / शासी बोर्ड द्वारा नामित कम से कम एक सदस्य तथा एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर स्तर के मामले में कम से कम एक विषय विशेषज्ञ तथा प्रोफेसर और समकक्ष पदों के मामले में दो विषय विशेषज्ञ अनिवार्य होंगे।
- घ. चयन समिति के अध्यक्ष को बैठक में वोट देने का अधिकार होगा और वोटों की समानता की स्थिति में उसका वोट निर्णायक होगा।
- ङ. यदि उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार में शामिल होने में असमर्थ हैं तो चयन समिति, यदि उचित मानती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य तकनीकी रूप से सक्षम मंच के माध्यम से आवेदकों का साक्षात्कार कर सकती है।
- च. यदि कोई उम्मीदवार चयन साक्षात्कार में भाग लेने में असमर्थ होता है और अनुपस्थिति में विचार करने का अनुरोध करता है तो चयन समिति को अनुपस्थिति में आवेदकों पर विचार करने की शक्ति होगी।
- छ. चयन समिति को विश्वविद्यालय से अनुरोध पर उन उम्मीदवारों के संबंध में विचार करने की शक्ति होगी, जिन्होंने उस पद के लिए आवेदन नहीं किया हो, बशर्ते कि उम्मीदवार का पूर्ण बायोडाटा और उसकी व्यावसायिक योग्यता के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों और उम्मीदवार ने उस पद पर विचार करने के लिए लिखित में अपनी सहमति दी हो।
- ज. चयन समिति इसे संदर्भित नियुक्ति (नियुक्तियों) के साथ-साथ चयनित उम्मीदवारों को दिए जाने वाले मूल वेतन के बारे में विचार करेगी और शासी बोर्ड को इस संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- झ. चयन समिति के अध्यक्ष के पास ऐसे किसी भी मामले में प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिनका सांविधियों में उल्लेख नहीं है।

11. मूल संविधियों में, संविधि 16 के बाद, निम्नलिखित संविधियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"16 ए.ए. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी- (1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

- (i) शैक्षणिक या अनुसंधान विभाग के डीन
- (ii) परीक्षा नियंत्रक
- (iii) प्रॉक्टर
- (iv) रेक्टर

(2) शैक्षणिक या अनुसंधान के डीन:-

- (क) शैक्षणिक या अनुसंधान विभाग के डीन को कुलपति की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा या विशेष रूप से प्रोफेसर लेकिन कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर के पद से लिया जाएगा।
- (ख) इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने मौलिक पद के कार्यों को जारी रखेगा और शैक्षणिक और अनुसंधान विभाग के डीन के रूप में उसकी नियुक्ति एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व होगा।
- (ग) शैक्षणिक या अनुसंधान विभाग के डीन तीन वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (घ) यदि शैक्षणिक या अनुसंधान विभाग के डीन का पद खाली होने, शैक्षणिक या अनुसंधान विभाग के डीन के अस्वस्थ होने या किसी अन्य कारणवश उनके अनुपस्थित होने की वजह से वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो उनके कार्यभार का निष्पादन इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- (ङ.) शैक्षणिक या अनुसंधान के डीन की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगे: -
 - (i) समग्र नेतृत्व, दिशा, समन्वय, मूल्यांकन और शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता की लेखा परीक्षा करना।

- (ii) अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) और अनुसंधान समिति की गतिविधियों का समन्वय करना।
- (iii) विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार करना।
- (iv) शैक्षणिक और अनुसंधान इकाइयों के लिए निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी करना
- (v) संबद्ध प्रत्यायन एजेंसी द्वारा यथानिर्धारित विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानक या मापदंड के विकास और अनुप्रयोग के लिए उत्तरदायी होगी।
- (vi) उपर्युक्त गुणवत्ता मानक या मापदंड के आधार पर वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार करना।
- (vii) शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (viii) शैक्षणिक कलैण्डर तैयार करना और इसके क्रियान्वयन को मॉनीटर करना तथा पाठ्यचर्या को अद्यतन करना।
- (ix) संस्थागत गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से, संस्थागत डेटाबेस का रखरखाव।
- (x) कुलपति, शैक्षणिक परिषद या शासी बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(3) परीक्षा नियंत्रक:-

- (क) शासी बोर्ड द्वारा संविधि 14 क में यथानिर्धारित चयन समिति की सिफारिशों पर परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।
- (ख) परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव निम्नानुसार होगा:
न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नात्कोत्तर डिग्री या विशेष ग्रेड प्वाइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड और निरंतर अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड। परीक्षा के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आठ वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- (ग) परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर समान शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (घ) परीक्षा नियंत्रक का वेतन, परिलब्धियां और सेवा निबंधन एवं शर्तें शैक्षणिक/शिक्षण स्टाफ के समान ही होंगी।
- (ङ.) परीक्षा नियंत्रक नियमानुसार शैक्षणिक/शिक्षण कर्मचारियों के समान ही अवकाश, भत्तों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का हकदार होगा।
- (च) परीक्षा नियंत्रक प्रवेश और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के निष्पादन और समग्र पर्यवेक्षण एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के केंद्रीकृत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
- (छ) परीक्षा नियंत्रक इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली केंद्रीय प्रवेश समिति के सदस्य सचिव होंगे और विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के सभी रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (ज) परीक्षा नियंत्रक निम्नलिखित विशिष्ट कार्य निष्पादित करेगा : -
 - (i) सदस्य सचिव, शैक्षणिक परिषद के रूप में निर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के बारे में विश्वविद्यालय के स्कूलों के साथ संपर्क;
 - (ii) विश्वविद्यालय में प्रवेश और परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाने और उनके अनुकूलन में विश्वविद्यालय के स्कूलों के साथ संपर्क करना।
 - (iii) प्रश्न पत्रों का मुद्रण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के प्रवेश और परीक्षाओं के परिणामों को तैयार करना और उनकी घोषणा करना। ऑनलाइन/ऑफ-लाइन परीक्षाओं की वास्तविक प्रक्रिया और संभारतंत्र की निगरानी करना;
 - (iv) वे डिग्री प्रदान करने और दीक्षांत समारोह से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे।

- (v) प्रवेश, परीक्षा ग्रेड और अध्येतावृत्ति के वार्षिक रिकॉर्ड का रखरखाव करना।
 - (vi) विशेष रूप से सदस्य राज्यों में, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रचार, और भावी छात्रों, अभिभावकों और आम जनता के सभी प्रश्नों का उत्तर देना;
 - (vii) कुलपति/शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना
- (i) यदि परीक्षा नियंत्रक का पद खाली हो या परीक्षा नियंत्रक के अस्वस्थ होने या किसी अन्य कारणवश उनके अनुपस्थित होने की वजह से वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो उनके कार्यभार का निष्पादन इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- (4) प्रॉक्टर:-
- (क) प्रॉक्टर की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, विशेष रूप से प्रोफेसर की श्रेणी में, परंतु वह एसोसिएट प्रोफेसर की श्रेणी से नीचे नहीं होगा।
 - (ख) इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने मूल पद के कार्यों को निष्पादित करता रहेगा और प्रॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।
 - (ग) प्रॉक्टर तीन साल की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा जिसे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
 - (घ) यदि प्रॉक्टर का पद खाली हो या प्रॉक्टर के अस्वस्थ होने या किसी अन्य कारणवश उनके अनुपस्थित होने की वजह से वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो उनके कार्यभार का निष्पादन इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
 - (ङ.) प्रॉक्टर, कुलपति द्वारा प्रॉक्टरल बोर्ड और अनुशासन समितियों का पदेन अध्यक्ष होगा।
 - (च) वह छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने और परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा कुलाधिपति की अनुमति से विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अधिदेश को ध्यान में रखते हुए छात्र प्रबंधन के नियमों की जांच करेगा।
 - (झ) परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रॉक्टर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहेगा।
 - (ज) प्रॉक्टर कुलपति द्वारा सौंपी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा।
- (5) रेक्टर: रेक्टर की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कार्य निम्नानुसार है:
- (क) रेक्टर की नियुक्ति निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार शासी बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफरिशों पर की जाएगी।
 - (ख) बशर्ते यह भी कि शासी बोर्ड, कुलपति की सिफरिश पर किसी प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर से रेक्टर नियुक्त करेगा, जो प्रोफेसर के श्रेणी में होगा।
 - (ग) रेक्टर का कार्यकाल, शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा परंतु यह किसी भी स्थिति में पांच वर्ष या कुलपति के कार्यकाल के समाप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगा तथा वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि रेक्टर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- (संतोषजनक प्रदर्शन पर अवधि को बढ़ाया जा सकता है) रेक्टर को कुलपति द्वारा हटाया जा सकता है और इस मामले की रिपोर्ट शासी बोर्ड को दी जाएगी।
- (घ) रेक्टर की सेवा की परिलब्धियां तथा अन्य प्रबंधन और शर्तें वरिष्ठ प्रोफेसर के समकक्ष होगी।
 - (ङ.) रेक्टर की शक्तियाँ एवं दायित्व
 - (i) रेक्टर कुलपति द्वारा यथा-निर्दिष्ट मामलों में कुलपति की सहायता करेगा। वह कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन भी करेगा।
 - (ii) यदि कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय या समिति का अध्यक्ष है, और किसी कारण से अनुपस्थित है तो, ऐसी स्थिति में रेक्टर को अध्यक्षता का कार्य सौंपा जाएगा।

(iii) कुलपति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर रेक्टर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण, निकाय या समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा परन्तु उसमें मतदान करने का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते यदि रेक्टर किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति का सदस्य है तो, उसे अन्य सदस्यों के समान सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

12. उक्त संविधियों में, संविधि 21 के बाद निम्नलिखित संविधियाँ शामिल की जाएंगी, अर्थात:-

22. शासी बोर्ड की कार्यकारी समिति-

1. शासी बोर्ड, बोर्ड में से नामांकित चयनित पांच सदस्यों की एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा।
2. कार्यकारी समिति अध्ययन, संभावित समाधान और सिफरिश हेतु बोर्ड को सौंपे गए सभी मामलों पर विचार, जांच और कार्रवाई करेगी और महत्वपूर्ण संस्थागत मुद्दों और प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए एक मंच का कार्य करेगी।
3. कार्यकारी समिति बोर्ड की नियमित रूप से होने वाली बैठकों में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर कार्रवाई कर सकती है, जिन पर बोर्ड की राय में तत्काल आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।
4. कार्यकारी समिति, वर्तमान अध्यादेशों/विनियमों/नियमों में संशोधन कर सकती है, उन्हें रद्द कर सकती है उनमें अतिरिक्त पाठ जोड़ सकती है, जो शासी बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के अध्ययधीन होगा।
5. कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार होगा:
 - (i) शासी बोर्ड, शासी बोर्ड के सदस्यों (शासी बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा) में से कार्यकारी समिति के सदस्यों को नामित करेगा, जिसमें से एक को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।
 - (ii) कार्यकारी समिति की सदस्यों की संख्या शासी बोर्ड के सदस्यों की आधे से भी कम होगी।
 - (iii) बैठकों की गणपूर्ति सदस्यों के सामान्य बहुमत से होगी।
 - (iv) कुलपति और विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने तक सेवा करेंगे।
 - (v) अन्य नामांकित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी और जिन्हें ऐसी अवधि हेतु पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
 - (vi) कार्यकारी समिति विश्वविद्यालय में सुचारू संचालन के लिए किसी भी मामले पर निर्णय ले सकती है।

(5) विनियम-

- (क) कार्यकारी समिति वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक आयोजित करेगी।
- (ख) दोनों बैठकें बोर्ड की नियमित रूप से निर्धारित बैठकों के संयोजन से आयोजित की जाएंगी, जबकि अन्य बैठकें समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी।
- (ग) ये बैठकें परंपरागत पद्धति से या उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यमों से आयोजित की जाएंगी।
- (घ) कार्यकारी समिति की कोई भी बैठक कुलपति या नामांकित व्यक्ति (जैसे कि रेक्टर) की गैरहाजिरी में आयोजित नहीं की जाएगी।
- (ङ.) कुलपति, कार्यकारी समिति की बैठक हेतु कार्यसूची के लिए जिम्मेदार होगा।
- (च) प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारी समिति के सदस्यों को पहले से ही आवश्यक सामग्री के साथ कार्यसूची भेज दी जाएगी।
- (झ) कार्यकारी समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन परिचालन के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ज) कार्यकारी समिति के सभी निर्णय/सिफारिशें अनुसमर्थन के लिए शासी बोर्ड को भेजी जाएँगी।

23. पेंशन निधियाँ या एनपीएस

- (1) विश्वविद्यालय सभी नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन से 10 प्रतिशत की दर से या भारत सरकार की शर्तों के अनुसार एनपीएस के लिए कटौती करेगा और भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार नियोक्ता के उतने ही अंशदान के साथ एनपीएस खाते में जमा करेगा।
- (2) संचित अप्रयुक्त अवकाश का नकदीकरण भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय/न्यूनतम तीन वर्ष की संविदा अवधि के पूरा होने पर या विश्वविद्यालय में रोजगार के दौरान किसी भी समय किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किया जा सकता है।
- (3) इस्तीफे की स्थिति में आधी अप्रयुक्त छुट्टियों का नकदीकरण किया जाएगा तथा सेवा से बर्खास्तगी या सेवामुक्त की स्थिति में भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार किसी भी अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं होगी।
- (4) सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के समय मूल वेतन और महंगाई भत्ते (यदि कोई हो) को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की गणना हेतु ध्यान में रखा जाएगा।
- (5) ग्रेच्युटी का भुगतान भारत सरकार के नियमों की उच्चतम सीमा के अनुसार किया जाएगा।
- (6) ग्रेच्युटी विश्वविद्यालय में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों की दर से संचित की जाएगी और उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा जिन्होंने विश्वविद्यालय में कम से कम तीन वर्ष तक की निरंतर सेवा की है।
हालांकि, सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर तीन साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता लागू नहीं होगी।
- (7) विश्वविद्यालय में तीन वर्ष पूरे होने से पहले सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन, सेवा समाप्ति या त्यागपत्र के मामले में कोई ग्रेच्युटी अनुमेय नहीं होगी।
- (8) इस विषय पर ऐसा कोई भी मामला जो जिसका प्रावधान इस कानून में नहीं किया गया है, भारत सरकार के मानदण्डों द्वारा शासित होगा।

24. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता

- (1) प्रत्येक कर्मचारी की वरिष्ठता उसके संबंधित संवर्ग में नियमित/गैर-संविदात्मक आधार पर विश्वविद्यालय की सेवाओं में शामिल होने की उसकी तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- (2) एक ही तिथि पर एक ही संवर्ग में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की स्थिति में, वरिष्ठता का निर्धारण समिति की अनुशंसा के अनुसार योग्यता के क्रम में किया जाएगा।
- (3) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करे और उसका रखरखाव करें।
- (4) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की वरिष्ठता में संदेह होने पर, कुलपति मामले का निर्धारण करेंगे और शासी बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, उनका निर्णय अंतिम होगा।

25. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया

(1) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई को हल करने के लिए गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(i) अधिनियम की धारा 34 के खंड 1 के अनुसार आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपील की जानी है।

बशर्ते यदि कोई पक्षकार चाहे तो वह ट्रिब्यूनल के अनुमोदन से उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) मध्यस्थता का स्थान आमतौर पर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित कार्यालय होगा।

(iii) प्रत्येक विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही दो सप्ताह के भीतर शुरू होगी, जिस पर उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी को प्राप्त होता है।

(iv) कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी में की जाएगी।

(v) ट्रिब्यूनल निर्देश दे सकता है कि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अंग्रेजी या हिंदी का अनुवाद लगाया जाए।

(vi) दोनों पक्षकार अपने बयानों के साथ वे सभी दस्तावेज जमा कर सकते हैं जिन्हें वे प्रासंगिक मानते हैं या ऐसे अन्य सबूतों के दस्तावेजों का संदर्भ जोड़ सकते हैं जिन्हें वे जमा करना चाहते हैं।

(vii) कोई भी पक्षकार कार्यवाही के दौरान अपने दावे या बचाव में संशोधन या संवर्धन कर सकता है जब तक कि ट्रिब्यूनल इसे प्रस्तुत करने में विलंब के कारण संशोधन या संवर्धन की अनुमति देना अनुचित नहीं मानता।

(viii) ट्रिब्यूनल यह तय कर सकता है कि कार्यवाही दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के आधार पर की जाएगी या नहीं।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल किसी पक्षकार के अनुरोध पर कार्यवाही के उचित चरण में सुनवाई करेगा।

(ix) पक्षकारों को दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक सामग्री के निरीक्षण के उद्देश्य से ट्रिब्यूनल की किसी भी सुनवाई/बैठक की समय से अग्रिम सूचना दी जाएगी।

(x) एक पक्षकार द्वारा ट्रिब्यूनल को दिए गए सभी बयानों, दस्तावेजों या अन्य सूचनाओं या उनको किए गए आवेदनों के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित किया जाएगा और ऐसी कोई भी विशेषज्ञ रिपोर्ट या दस्तावेज जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल अपना निर्णय लेते समय विश्वास करता है, के बारे में पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

(xi) जहां, पर्याप्त कारण बताए बिना -

(क) दावेदार उपरोक्त उप-खंड (vi) के अनुसार अपने दावे के वक्तव्य को संप्रेषित करने में विफल रहता है, तो ट्रिब्यूनल कार्यवाही समाप्त कर देगा;

(ख) प्रतिवादी उपरोक्त उप-खंड (vi) के अनुसार अपने बचाव के बयान को संप्रेषित करने में विफल रहता है, तो ट्रिब्यूनल दावेदार द्वारा आरोपों की स्वीकृति के रूप में अपने आप में विफलता न मानते हुए कार्यवाही जारी रखेगा।

(ग) एक पक्षकार मौखिक सुनवाई में उपस्थित न होने या दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहता है, तो ट्रिब्यूनल कार्यवाही जारी रख सकता है और अपने पास स्थित सबूतों के आधार पर निर्णय दे सकता है।

(xii) ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ट्रिब्यूनल एक या एक से अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है।

(xiii) ट्रिब्यूनल अपना काम दो सप्ताह के भीतर पूरा कर सकता है और अपनी रिपोर्ट कुलपति को दे सकता है।

स्पष्टीकरण- इस संविधि में 'पक्षकारों' का अर्थ विश्वविद्यालय के कर्मचारी या छात्र से है जिनके अनुरोध पर विवाद को ट्रिब्यूनल और विश्वविद्यालय को संदर्भित किया गया है।

26. मानद उपाधि

(1) शासी बोर्ड, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, मानद उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।

बशर्ते शासी बोर्ड अपनी स्वयं की सुविधा के अनुसार ऐसे प्रस्ताव तैयार कर सकता है।

27. विनियमन और नियम

(1) अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए अपने कामकाज को चलाने हेतु विश्वविद्यालय के पास अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के अनुरूप विनियम/नियम बनाने का अधिकार है।

(2) सभी विनियमों/नियमों को शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।

(3) इस प्रकार बनाए गए विनियमों या नियमों को शासी बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरस्त या संवर्धित किया जा सकता है।

(4) अवकाश, वित्तीय आचरण जैसे विनियमों को शासी बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

(5) ऐसे विनियम जिनका प्रावधान विश्वविद्यालय के लिए नहीं हैं, वे भारत सरकार के सीसीएस नियमों द्वारा शासित होंगे।

28. क्षेत्राधिकार

(1) विश्वविद्यालय का कानूनी अधिकार क्षेत्र बिहार राज्य में विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा।

29. कानूनी खंड

(1) विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किसी भी मामले की जांच करने के लिए एक कानूनी प्रकोष्ठ/अनुभाग होगा।

(2) कुलपति कानूनी अनुभाग में एक अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें वह अधिकारी भी शामिल होगा जो विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(3) कुलपति के पास विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार लीगल रिटेनर/स्थायी काउंसल नियुक्त करने की शक्ति होगी।

डॉ. अनुपम राय, संयुक्त सचिव, (पी.पी. एण्ड आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./497/2021-22]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Policy Planning and Research Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2021

No. S/321/8/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010) and with the assent of the Visitor, the Governing Board, hereby makes the following amendment to the Nalanda University Statutes, 2012, namely:-

1. Short Title and Commencement:

(1) These Statutes may be called the Nalanda University (Amendment) Statutes, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Nalanda University Statutes, 2012 (hereinafter referred to as principal Statutes), in Statute 4,

(a) clause (1) stands amended as:-

“(1) In addition to the Schools of Studies and Centres as provided under the provisions of sub-section 2 of Section 24 of the Act, the University shall have an additional School of Studies, namely, ‘Information Sciences and Technology’. The University may add more Schools and Centres of Study periodically on the recommendation of the Academic Council and with the approval of the Governing Board.”

(b) After clause (3), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(4) The University may establish Centres in alliance with other institutions within and outside the country under the Public Private Partnership, as per Section 10 (xiv) and (xvi) of the Act, for the promotion of the Objectives of the University.

(5) The Centres overseas will be established in association/coordination with the embassy concerned in the areas as approved by the Academic Council.”

3. In the principal Statutes, in Statute 5,

(a) clause (1) stands amended as:-

“(1) In addition to the authorities specified in section 22 of the Act, the following shall be Authorities of the University as and when necessary, namely:

(a) The Planning Board”

(b) After clause (1) the following clauses shall be inserted, namely:-

“(2) The composition, powers and functions of the Planning Board shall be such as may be decided by the Governing Board from time to time. The Planning Board shall consist of the following members, namely:-

- (a) The Vice-Chancellor – Chairperson;
 - (b) Two Deans of the Schools to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (c) The Finance Officer;
 - (d) Two external Experts, known for their special knowledge in planning, engineering and architecture to be nominated by the Governing Board on the recommendation of Vice-Chancellor;
 - (e) Two Indian external Experts and two International Experts known for their expertise in the development of higher education, to be nominated by the Vice-Chancellor; and
 - (f) Dean Planning as Member-Secretary. In the absence of Dean Planning, the Registrar shall be the Member-Secretary.
- (3) The terms of office of the members other than the *ex-officio* members, shall be two years, and may be extended for one more term.
- (4) The powers and functions of the Planning Board shall be as under:
- (a) To advise about short and long-term development plans of the University;
 - (b) To monitor the implementation of development plans and suggest measures for midcourse correction in the implementation of the approved plans of the University;
 - (c) To suggest measures for raising the standard of education and research, including strengthening of inter-disciplinary programmes, cooperation between Schools or Centres of the University and collaboration with international institutions;
 - (d) To advise on any matter referred to it by the University Authorities.
- (5) Recommendations of the Planning Board shall be placed before the Governing Board for consideration and further necessary action.
- (6) The Planning Board shall meet at least twice a year.
- (7) Half of the members of the Board shall form the quorum for a meeting.”

4. In the principal Statutes, in Statute 7, –

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“Constitution of the Academic Council”;

(b) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

“(1) The Academic Council shall be constituted as per the Section 43 (c) of the Act. The Academic Council shall consist of the following members, namely:

- (a) The Vice-Chancellor, who shall be the *ex-officio* Chairperson of the Academic Council;
- (b) Rector, *ex-officio*;
- (c) The Dean (Research)/ COE, *ex-officio*;
- (d) The Deans of Schools, *ex-officio*;
- (e) The Librarian, *ex-officio*;
- (f) One Professor and one Associate Professor from each School, nominated by the Vice-Chancellor by rotation;
- (g) Seven experts (not being employees of the University) on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- (f) Special Invitee as per the recommendation of the Chairperson

(c) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(2) All members of the Academic Council, other than the *ex-officio* members, shall hold office for a term of three years from the date of their nomination. The members can continue up to two terms.

(3) For specific items, on a written request from the students, the Vice-Chancellor may allow up to two students to present their point of view to the Academic Council.

(4) Half of the experts and internal members shall form the quorum for its meetings, and decisions shall be taken by a simple majority.

(5) The Controller of Examination, and in his/her absence the Dean Research, shall be the Member-Secretary.”

5. In the principal Statutes,

(a) Statute 7 shall be renumbered as Statute 7A, and inserted after Statute 7.

(b) clause (1) (b) (vi) in the existing Statute 7 renumbered as Statute 7A stands amended as – “The conduct of examinations”.

(c) after clause (1) (b) (vi) in the existing Statute 7 renumbered as 7A, the following clause shall be inserted, namely:-

“(ix) To take periodical review/ Academic Audit of the Departments / Centres and to take appropriate action with a view to maintaining and improving standards of instructions;”

6. In the principal Statutes, in Statute 8,

(a) clause (1) stands amended as:-

“(1) The Boards of School of Studies shall consist of members nominated by the Vice-Chancellor.”

(b) clause (2) stands amended as:-

“(2) The Boards of School of Studies shall,-

(a) Report to the Academic Council on all matters relating to the organization of education, teaching, learning and research in the subjects of the School, including curricula and examinations with due approval of Vice-Chancellor.

(b) Consider and where necessary take action on any matters which may be referred to them by the Vice-Chancellor /the Academic Council.

(c) Recommend all academic matters of the schools to the Academic Council with due approval by the Vice-Chancellor.”

(c) clause (3) stands amended as –

“(3) Each Board of School of Studies may establish such sub-committees as it may deem necessary with the approval of the Vice Chancellor.”

7. In the principal Statutes, after Statute 8, the following Statute shall be inserted, namely:-

“8A. Constitution of Boards of Schools of Studies. – (1) Each School of Studies shall have a Board consisting of the following members, namely:-

(a) The Dean of the School who shall preside over the meetings of the Board;

(b) All Professors in the School;

(c) Two Associate Professors and two Assistant Professors by rotation according to seniority, from within the School;

(d) A maximum of four members nominated by the Academic Council for their special knowledge in any subject assigned to the School or in any allied branch of knowledge.

(e) All members of the Board other than the ex-officio members shall hold office for a term of three years. The term of members shall commence from the date of nomination.

(f) Half of the members of the board shall form the quorum for the meeting and decisions shall be taken by a simple majority.”

8. In the principal Statutes, in Statute 14,

(a) the existing provision in Statute 14 shall be renumbered as clause (1), and stands amended as –

“(1) The Vice-Chancellor, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Visiting Professors and such other persons as may be designated as such by the Statutes for imparting instructions in the University

or for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any course of study of the University who may from time to time be recognized by the University authorities shall be the members of the academic staff including Adjunct Faculty and teaching fellows. The Academic staff will be exempted from taxation as per Head Quarter Agreement.”

(b) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(2) Visiting Faculty –

- (a) Eminent Scholars having special competence in one or other of the fields of study covered by the University as Visiting Faculty.
 - (b) Visiting Faculty or Scholars/Writers-in-residence shall be paid a consolidated monthly remuneration and this amount shall be based on the grade at which they are appointed by the University. They will be provided free accommodation by the University.
 - (c) The Visiting Faculty or Scholars/Writers-in-residence shall be paid travel expenses as per rules of the University for travel within India for approved academic programmes, and they shall also be entitled to reimbursement of medical expenses as per CGHS norms.
- (3) Engagement of Retired Faculty – The Governing Board may approve to re-employment of any such member of the academic staff beyond the age of superannuation, as the case may be, against the sanctioned vacant post for initial period of one year extendable up to 70 years of age as per discretion of the Vice-Chancellor. Such re-employed staff may be given additional charge of Dean on adhoc basis until a regular appointment is made.”

9. In the principal Statutes, in Statute 14, in the table, in the column relating to ‘Composition’, for the words and brackets “Dean (Academic Planning)”, wherever they occur, the words and brackets “Rector / Dean (Research)” shall be substituted.

10. In the principal Statutes, in Statute 14B, after clause (2), the following clause shall be inserted, namely –

“(3) Selection Committee Procedures –

- a. Meetings of Selection Committees shall be convened by the Vice Chancellor as the Chair of the said committee, who shall preside over the meetings.
- b. Ordinarily, a minimum of two weeks’ notice of a meeting shall be given.
- c. Four members inclusive of the Chairperson and with at least one member nominated by the Chancellor/Governing Board and at least one subject expert in case of Associate and Assistant professor levels and two subject experts in case of professor and equivalent positions shall form a quorum.
- d. The Chairperson of the Selection Committee shall be entitled to vote at the meeting and shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
- e. The Selection Committee may, if it deems fit, interview applicants through video conferencing or other technologically enabled platform if the candidate is unable to attend the interview in person.
- f. The Selection Committee will have the power to consider applicants in absentia in case a candidate is unable to attend the selection interview and has requested for consideration in absentia.
- g. The Selection Committee upon request from the University shall have the power to consider candidates who may not have applied for the position, provided that a complete bio-data and sufficient proofs of professional competency of the candidate are available and the candidate has given written consent for being considered for the position.
- h. The Selection Committee shall consider and submit to the Governing Board recommendations as to the appointment(s) referred to it as well as the basic salary to be offered to the selected candidates.
- i. The Chairperson of the Selection Committee shall have the power to lay down the procedure in respect of any matter not mentioned in these statutes”.

11. In the principal Statutes, after Statute 16, the following Statute shall be inserted, namely:-

“**16 AA. OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY**-(1) The following shall be the Other Officers of the University, namely:-

- (i) The Dean of Academics or Research
- (ii) The Controller of Examinations
- (iii) The Proctor
- (iv) The Rector

(2) The Dean of Academics or Research:-

- (a) The Dean of Academics or Research shall be appointed from amongst the faculty members of the University or invited, preferably of the rank of Professor but not below the rank of Associate Professor, by the Governing Board on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- (b) The person so appointed shall continue to perform the functions of his/her substantive post and his/her appointment as Dean of Academics & Research shall be an additional responsibility.
- (c) The Dean of Academics or Research shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.
- (d) When the office of the Dean of Academics or Research is vacant or when the Dean of Academics & Research is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (e) The powers and functions of the Dean of Academics or Research shall be as follows:-
 - (i) To provide overall leadership, direction, coordination, assessment and audit of the quality of academic and research activities
 - (ii) To coordinate the activities of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and the Research Committee as may be prescribed by the Ordinances.
 - (iii) To prepare reports on academic and research activities as may be required by the various Authorities of the University or the Central Government.
 - (iv) To monitor allocation and utilization of funds for the academic and research units
 - (v) To be responsible for development and application of quality benchmarks or parameters for various academic and research activities as may be prescribed by the relevant accreditation agency.
 - (vi) To prepare Annual Quality Assurance Report based on the aforesaid quality benchmarks and parameters.
 - (vii) To monitor the implementation of the decisions of the Authorities of the University relating to the academic and research activities.
 - (viii) To prepare and monitor implementation of the academic calendar and updating of the curricula.
 - (ix) To maintain institutional database, through management information system, for the purpose of enhancing the institutional quality.
 - (x) To perform such other duties as may be assigned to him/her by the Vice-Chancellor, Academic Council or the Governing Board.

(3) The Controller of Examinations:-

- (a) The Controller of Examinations shall be appointed by the Governing Board on the recommendations of the Selection Committee as prescribed in Statute 14A and he/she shall be a full-time salaried officer of the University.
- (b) The following shall be the minimum educational qualifications and experience required for appointment to the post of Controller of Examination:

Master's Degree with at least 60% marks or its equivalent grade on a particular Grade Point Scale and consistently good academic record. At least fifteen years of experience in the field of examinations out of which eight years should be in the rank of Professor or Associate Professor
- (c) Appointments to the post of Controller of Examinations shall be for tenure of three years which may be renewed on similar terms based on good performance.

- (d) The salary, emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be as academic / teaching staff.
- (e) The Controller of Examinations shall be entitled to such Leave, Allowances, and other terminal benefits as academic / teaching staff as per rules.
- (f) The Controller of Examinations shall be responsible for the execution and overall supervision of the process of admissions and examinations and for keeping centralized records of all examinations conducted by the University.
- (g) The Controller of Examinations shall be the Member Secretary of the Central Admission Committee to be constituted for the purpose and shall be responsible for keeping all records of the admissions to the various programmes of the University.
- (h) The Controller of Examinations shall have the following specific functions to perform:-
 - (i) Liaison with Schools of the University as Member Secretary, Academic Council about the student intake in specified academic programmes;
 - (ii) Liaison with Schools of the University in setting and moderating of question papers for University admissions and examinations.
 - (iii) Printing of question papers, evaluation of answer scripts, and preparation and declaration of results of University admissions and examinations. Overseeing the logistics and the actual process of on-line/off-line examinations;
 - (iv) be responsible for award of degrees and all matters related to Convocation.
 - (v) to maintain annual records of admissions, examinations grades and fellowships
 - (vi) Publicity of the University's academic programmes, especially in the Member States, and to respond all queries from prospective students, parents and general public;
 - (vii) Any other function as may be assigned by the Vice-Chancellor/Governing Board from time to time.
 - (i) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties his office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Proctor: -

- (a) The Proctor shall be appointed from amongst the faculty members of the University preferably of the rank of Professor, but not below the rank of Associate Professor by Vice-Chancellor.
- (b) The person so appointed shall continue to perform the functions of his substantive post and his appointment as Proctor shall be an additional responsibility.
- (c) The Proctor shall hold office for a term of three years which may be extended based on good performance
- (d) When the office of the Proctor is vacant or when the Proctor is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (e) The Proctor shall be ex-officio chair of the Proctoral Board and Disciplinary Committees to be constituted by the Vice-Chancellor.
- (f) He/She shall be responsible for maintenance of discipline amongst the students and security of the campus and will review the rules for student Management keeping with the international mandate of the University with the approval of the Vice-Chancellor
- (g) The Proctor shall liaison with the local administration for the maintenance of law and order in the campus.
- (h) The Proctor shall exercise such powers and perform such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor.

(5) The Rector: - The appointment of Rector and his/ her powers and duties are as under:

- (a) Rector shall be appointed by the Governing Board on the recommendation of the Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be laid down

- (b) Provided further that the Governing Board may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, appoint a Professor from within or outside the University as Rector in the Rank of Professor.
- (c) The term of office of a Rector shall be such as approved by the Governing Board but it shall not in any case exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:
 Provided that a Rector shall retire on attaining the age of 65 years. (Extendable on satisfactory performance), the Rector may be removed by the Vice-Chancellor and report the matter to Governing Board.
- (d) The emoluments and other terms and conditions of service of a Rector shall be equivalent to a senior professor.
- (e) Powers and Duties of Rector
 - (i) Rector shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor. He/She shall also exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him/her time to time by the Vice-Chancellor.
 - (ii) Where the Vice-Chancellor is the Chairperson of any Body or Committee of the University and he/she is absent for any reason, the Rector, will be delegated to Chair.
 - (iii) Rector shall, on being authorised by the Vice-Chancellor, be entitled to be present at and to address any meeting of any authority, body or committee of the university but shall not be entitled to vote thereat:
 Provided that if the Rector is a member of such authority, body or committee, he/she shall have all the rights and privileges of a member thereof.

12. In the said Statutes, after Statute 21, the following Statutes shall be inserted, namely :-

22. EXECUTIVE COMMITTEE OF THE GOVERNING BOARD -

- (1) The Governing Board shall form an Executive Committee of selected or nominated five members from the Board.
- (2) The Executive Committee shall consider, examine and act upon all matters that are referred to the Board for study, possible resolution and recommendation, and serve as a forum for the consideration of significant institutional issues and priorities.
- (3) The Executive Committee may act on any matter which arises between regular meetings of the Board, which in the opinion of the Board require immediate action.
- (4) The Executive Committee shall amend, repeal or add existing Ordinances/Regulations/Rules, subject to ratification by the Governing Board.
- (5) Composition of the Executive Committee shall be -
 - (i) The Governing Board shall nominate members to the Executive Committee from among the Governing Board members (other than the Chairperson of Governing Board), one of whom will be nominated as Chairperson of the Executive Committee
 - (ii) The Executive Committee membership shall be less than half the membership of the Governing Board.
 - (iii) The quorum for the meetings shall be a simple majority of members.
 - (iv) Vice-Chancellor, and Secretary (East) from Ministry of External Affairs shall be ex-officio members. Ex-officio members shall serve for as long as they hold the office.
 - (v) Other nominated members will serve three-year term and can be reappointed to successive terms.
 - (vi) The Executive Committee may decide on any matter therein for smooth functioning of the University.
- (6) Regulations -
 - a) The Executive Committee shall meet at least three times a year.
 - b) Two meetings shall be held in conjunction with regularly scheduled meetings of the Board, while other meetings will be held as deemed necessary by the Chair of the Committee.

- c) Meetings may be held in-person or through available electronic means.
- d) No meeting of the Executive Committee may be held in absence of the Vice Chancellor or his/her nominee (i.e. Rector).
- e) The Vice-Chancellor shall be responsible for the agenda for meeting of the Executive Committee.
- f) Agenda along with relevant materials, shall be sent to the Executive Committee members in advance of each meeting.
- g) Minutes shall be approved by the Executive Committee members within 15 days of circulation.
- h) All decisions/recommendations of the Executive Committee will be reported to the Governing Board for ratification.

23. PENSION FUNDS OR NPS

- (1) The University shall make a deduction towards NPS at the rate of 10 per cent of the basic pay or as per Government of India stipulations from the salary of all regular employees, and deposit the same in NPS account with the employer's matching contribution as per Government of India norms.
- (2) Accumulated unutilized earned leave shall be encashed at the time of retirement/on completion of minimum of contractual period of three years or on demise or incapacitation of an employee at any time during his/her employment with the University, as per Government of India norms.
- (3) In case of resignation, half of unutilized leave shall be encashed and in case of termination or dismissal from service no leave encashment shall be permissible as per Government of India norms.
- (4) Basic salary plus Dearness Allowance (if any) at the time of retirement/resignation shall be taken into account for calculating the earned leave encashment.
- (5) The Gratuity shall be paid as per ceiling of the Government of India rules.
- (6) The gratuity shall accumulate at the rate of 15 days for each completed year of service in the University, and shall be paid to the employees who have put in a minimum of three years of continuous service in the University. However, the requirement of three years of continuous service shall not apply in the case of demise of an employee in service.
- (7) In case of termination or dismissal, cessation from service or resignation before completion of three years in the University no gratuity shall be permissible.
- (8) Any matter on the subject, not provided for in this Statute shall be governed by Government of India norms.

24. SENIORITY OF SERVICE OF THE EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

- (1) The seniority of each employee shall be determined on the basis of his/her date of joining the services of the University on regular/ non-contractual basis in the respective cadre.
- (2) In case of two or more candidates joining in the same cadre on the same date, seniority shall be determined by the order of merit as recommended by the Selection committee.
- (3) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class of employees a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of this Statute.
- (4) In cases where the seniority of any person or persons is in doubt, the Vice Chancellor shall determine and report the matter to the Governing Board whose decision thereon shall be final.

25. PROCEDURE FOR REGULATING THE WORK OF THE TRIBUNAL OF ARBITRATION

- (1) The following procedure shall be followed for regulating the work of the Tribunal of Arbitration constituted to resolve the dispute or disciplinary action arising out of the contract between the University and any of its employees.
 - (i) The appeal to be made within 10 days of receiving order as per clause 1 of Section 34 of the Act.

Provided that if a Party so desires, he/she can present his/her case through a representative nominated by him/her with the approval of the Tribunal.

- (ii) The place of arbitration shall ordinarily be the office of the University at its Headquarters.
- (iii) The arbitral proceedings in respect of each dispute shall commence within two weeks on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent.
- (iv) The proceedings shall be conducted either in English or in Hindi.
- (v) The Tribunal may direct that any documentary evidence shall be accompanied by a translation in English or Hindi.
- (vi) The parties may submit with their statements all documents they consider to be relevant or may add a reference to the documents of other evidences they seek to submit.
- (vii) Either party may amend or supplement his/her claim or defence during the course of the proceedings unless the Tribunal considers it inappropriate to allow the amendment or supplement having regard to the delay in making it.
- (viii) The Tribunal may decide whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials. Provided that the Tribunal shall hold hearings, at an appropriate stage of the proceedings, on a request by a party.
- (ix) The parties shall be given sufficient advance notice of any hearings/meeting of the Tribunal for the purpose of inspection of documents and other relevant material.
- (x) All statements, documents or other information supplied to, or applications made to the Tribunal by one party shall be communicated to the other party, and any expert report or documents on which the Tribunal may rely in making its decision shall be communicated to the parties.
- (xi) Where, without showing sufficient cause -
 - (a) the claimant fails to communicate his/her statement of claim in accordance with sub-clause (vi) above, the Tribunal shall terminate the proceedings;
 - (b) the respondent fails to communicate his/her statement of defence in accordance with sub-clause (vi) above, the Tribunal shall continue the proceedings without treating the failure in itself as an admission of the allegations by the claimant; and
 - (c) a party fails to appear at an oral hearing or produce documentary evidence, the Tribunal may continue the proceedings and make the award on the evidence before it.
- (xii) The Tribunal may appoint one or more experts to report to it on specific issues to be determined by the Tribunal
- (xiii) The Tribunal may complete its work within two weeks and report the same to the Vice-Chancellor.

Explanation - The 'Parties' in this Statute means the employee or the student of the University on whose request the dispute has been referred to the Tribunal and the University.

26. HONORARY DEGREES

- (1) The Governing Board may, on the recommendation of the Academic Council, approve proposal for the conferment of honorary degrees. Provided that the Governing Board may, on its own motion, make such proposals.

27. REGULATION AND RULES

- (1) In accordance with Section 30 of the Act, the University is empowered to make Regulations/Rules consistent with the Act, Statutes and Ordinances for the conduct of their own business for smooth function of the University.
- (2) All Regulations/ Rules shall be approved by the Governing Board from time to time.
- (3) The Regulations or Rules so made may be amended, repealed or added to at any time by the Governing Board.
- (4) Such Regulations as leave, financial conduct as amended from time to time with the approval of the Governing Board.

- (5) Such regulations that are not provided for the University will be governed by CCS Rules of Government of India.

28. JURISDICTION

- (1) Legal jurisdiction of the University will be the Head Quarters of the University, in the State of Bihar.

29. THE LEGAL SECTION

- (1) The University shall have a Legal Cell/ Section to examine any case to cater to the legal requirements of the University.
- (2) The Vice-Chancellor shall appoint officers in the Legal Section, including the officer who shall also who will also act as the Public Information Officer of the University.
- (3) The Vice-Chancellor shall have the power to appoint Legal Retainer(s)/Standing Counsel(s) as per the requirement of the University

Dr. ANUPAM RAY, Jt. Secy. (PP&R)

[ADVT.-III/4/Exty./497/2021-22]